राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3859/2025

गुडिया शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.08.2025
आदेश की दिनांक : 19.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–1 के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आजादपुरा, गोगेरा, भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा मॉक इन इंटरव्यू के अन्तर्गत अग्रेंजी माध्यमिक विद्यालय, में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन किया गया था। जिसके अन्तर्गत लिखित परीक्षा तथा कार्मिकों द्वारा दिये गये विकल्प पत्र एवं उनकी मेरिट के अनुसार जिला एवं ऑनलाइन काउंसलिंग के अनुसार विद्यालय आवंटित किये गये थे तथा अपीलार्थी का चयन प्रक्रिया द्वारा पदस्थापन राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आजादपुरा, गोगेरा, भरतपुर सें स्वतंत्रता सैनानी स्वं. श्री सुमेर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चारलीगंज, भरतपुर में किया गया। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 538 पर अंकित है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम में अध्यापक लेवल 1 के पद पर स्वतंत्रता सैनानी स्वं. श्री सुमेर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारलीगंज, भरतपुर में किया गया। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 43 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.07.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी एक अविवाहित महिला है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान से 80 कि.मी. दूर पदस्थापन किया गया है, जबकि अपीलार्थी के

नजदीक महात्मा गांधी विद्यालय, निठार, भुसावर, भरतपुर में पद रिक्त है, उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की अविवाहित श्रेणी को अनदेखा करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.06.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 02.07.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी अध्यापक लेवल–1 के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आजादपुरा, गोगेरा, भरतपुर में ही यथावत् पदस्थापित रखा जावे तथा वेतन का आहरण भी वर्तमान पदस्थापित स्थान से करवाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य(न्यायिक)